18

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 60–दो/2002 विरूद्ध आदेश 28–02–2001 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 17/2000–01 अपील

1– सुघर सिंह 2– श्रीकृष्ण पुत्रगण मोतीराम
निवासी ग्राम लावन, तहसील व जिला भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

सोवरन सिंह पुत्र जयश्रीराम
ग्राम लावन तहसील व जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री पी.के तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 6-4 - 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 17/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–2–2001 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि गाम लावन स्थित खाता क्रमांक 279 की भूमि सर्वे नंबर 668 नया नंबर1095 एंव सर्वे नंबर 395/3 नया नंबर 1305 के अमर सिंह, किशन सिंह, महिला सुभद्रा सहखातेदार हैं। अन्य सर्वे नंबर 1994 रकबा 0.26

एंव 1305 रकबा 0.27 कुल रकबा 0.53 के अमर सिंह , किशन सिंह, सुभद्रा बराबर के हिस्सेदार हैं। महिला सुभद्रा के नाम की भूमि पर सोबरन सिंह व्दारा बसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण की मांग की। सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 20/95-96 अ 6 में पारित आदेश दिनांक 2-9-97 से तथा प्रकरण क्रमांक 47/98-99 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 25-8-99 से अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील क्रमांक 86/1999-2000 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 30-5-2000 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 17/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-2001 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी की गई है।

2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि विचारण न्यायालय ने इस्तहार का प्रकाशन विविधवत् नहीं कराया एंव नामान्तरण नियम 17 के प्रावधानों का पालन नहीं किया। प्रार्थीगण को लिखित सूचना दिये बिना आदेश पारित किया गया है इसलिये समस्त कार्यवाही दूषित होने से विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाय एंव अपीलीय न्यायालयों ने इस पर ध्यान न देने से उनके आदेश भी निरस्त किये जावें।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि महिला सुभद्रा प्रथक प्रथक खाते की भूमियों में सहभागीदार थी, जिसकी मृत्यु उपरांत बसीयतनामे के आधार पर अनावेदक ने नामान्तरण की मांग सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड से की। सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 20/95-96 अ 6 में पारित आदेश दिनांक 2-9-97 से तथा प्रकरण क्रमांक 47/98-99 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 25-8-99 से अनावेदक का बसीयतनामे को प्रमाणित पाने से मृतक सुभद्रा के नाम की भूमि पर नामान्तरण किया है। बसीयतनामा पंजीकृत है सामान्य सिद्धांत है कि अपंजीकृत बसीयतनामे की तुलना में पंजीकृत बसीयनामा भरोसे लायक होता है। विद्वान अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 28-9-2001 के पैरा-5 में इस प्रकार विवेचना की है :-

" आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अपीलार्थीगण का नाम अभिलिखित भूमिस्वामी के स्थान पर परिवर्तित किया गया है। प्रमाणीकरण करने पर प्रतिअपीलार्थी सोवरन सिंह व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। इस आपत्ति का अभी अंतिम विनिश्चय होना है। अपील मूल आदेश के विरूद्ध की जाती है और यह आदेश मूल आदेश नहीं था विचारण न्यायालय में अभी आपत्तियों के निराकरण की प्रकिया शेष है। सहायक बंदोवस्त अधिकारी व्दारा अपीलार्थीगण का नाम परिवर्तन सूची में रखे जाने के के आदेश दिये गये थे उनका प्रथम प्रकाशन भी हो चुका था और प्रतिअपीलार्थी सोबरनसिंह व्दारा आपत्ति की गई थी जिसे सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने स्वीकारते हुये बसीयतनामा के आधार पर बसीयत प्रमाणित होने से विवादित भूमि पर प्रतिअपीलार्थी सोबरन सिंह के नाम नामान्तरण प्रमाणित किया है और अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड व्दारा भी विचारण न्यायालय व्दारा पारित आदेश को स्थिर रखा है। मेरे विचार में अपीलार्थीगण प्रथम प्रकाशन के समय मृतक भूमि स्वामी महिला सहोद्रा के वारिसान के रूप में प्रमाणित करने में असफल रहे हैं"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदकगण को विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर मिला है । अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेशों के अवलोकन से पाया गया कि उनके व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 17/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर